UPGK010000082026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 103/2026,
रामअचल गुप्ता प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य।

20.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक उपस्थित है। विपक्षीगण संख्या– 02 लगायत 06 पर नोटिस तामील होकर पत्रावली में संलग्न है, किन्तु विपक्षीगण संख्या– 02 लगायत 06 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

प्रार्थना–पत्र 8 ख समर्थित शपथ–पत्र 9 ख आवेदक/प्रस्तावित पुनरीक्षणार्थी की ओर से प्रकीर्ण वाद संख्या– 139/2025, रामअचल गुप्ता बनाम प्रियंका निषाद व अन्य, धारा– 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, थाना– गुलरिहा, जनपद– गोरखपुर में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 25.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तावित दाण्डिक पुनरीक्षण दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु दिया गया है।

प्रार्थना–पत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि आवेदक ने आदेश दिनांक 25.09.2025 के बाद पुत्र सुनील गुप्ता के रोजगार हेतु गए बाहर से घर वापस आने पर आवेदक ने बताया तब अधिवक्ता से सम्पर्क करके कानूनी राय लिया गया और दिनांक 15.12.2025 को नकल हेतु जरिये अधिवक्ता आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक के अधिवक्ता को दिनांक 16.12.2025 को नकल तैयार होकर प्राप्त हुआ और नकल की प्राप्ति होने के बाद आवेदक के अधिवक्ता द्वारा विधिक रूप से आदेश का अध्यन करने के बाद पुनरीक्षण याचिका तैयार करने हेतु कहा गया। उसी मध्य दिनांक 18.12.2025 को आवेदक के अधिवक्ता को कोर्ट परिसर में दोनो पैर में कुत्ता ने काट लिया, जिससे वे अपने दवा इलाज में व्यस्त हो गये तथा कोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू हो गया। न्यायालय खुलने पर पुनरीक्षण याचिका तैयार कराकर दाखिल किया गया। आवेदक ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विलम्ब को माफ करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है।

विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए कहा गया है कि पुनरीक्षण संस्थित किये जाने की अधिकतम अवधि कानून में निर्धारित है। किन्तु उससे अत्यधिक विलम्ब से यह प्रस्तावित पुनरीक्षण संस्थित करते हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया है, जिसमे विलम्ब का कोई सही एवम् सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 8 ख अन्तर्गत धारा– 5 मियाद अधिनियम पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक को सुना जा चुका है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रस्तावित दाण्डिक पुनरीक्षण आवेदक/प्रस्तावित पुनरीक्षणार्थी की ओर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 25.09.2025 के विरूद्ध दिनांक 01.01.2026 को विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा प्रस्तावित दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा– 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। धारा– 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में आवेदक द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 15.12.2025 को नकल हेतु जरिये अधिवक्ता

आवेदन प्रस्तुत किया गया और नकल की प्राप्त होने के बाद आवेदक के अधिवक्ता द्वारा विधिक रूप से आदेश का अध्यन करने के बाद पुनरीक्षण याचिका तैयार करने हेतु कहा गया। उसी मध्य दिनांक 18.12.2025 को आवेदक के अधिवक्ता को कोर्ट परिसर में दोनो पैर में कुत्ता ने काट लिया, जिससे वे अपने दवा इलाज में व्यस्त हो गये तथा कोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू हो गया। न्यायालय खुलने पर पुनरीक्षण याचिका तैयार कराकर दाखिल किया गया। आवेदक ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है।

विधिक नजीरों में यह प्राविधान दिया गया है कि परिसीमा अधिनियम के मामले में न्यायालय को लिबरल एप्रोच अपनाना चाहिये अर्थात लचीलापन रूख अपनाना चाहिये जैसा कि **शिल्पा प्रति मधुकर व अन्य, 2001 (1) जे0आई0सी0 पृष्ठ 588 सुप्रीम कोर्ट, उ0 प्र0 राज्य प्रति गौरीशंकर, 1992 ए0एल0जे0 पृष्ठ 606 इलाहाबाद डिवीजन बेंच, पारसनाथ प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, 1982 ए0एल0जे0 पृष्ठ 392 इलाहाबाद** में इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का हवाला दिया जाना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक घण्टे व दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है।

पुनरीक्षण आवेदक का वैधानिक अधिकार है, मात्र तकनीकी कारण से उसे सारभूत न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। न्याय पूर्ण उद्देश्यों के लिये आवश्यक है कि उभय पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाये, जिससे सारभूत न्याय हो सके। मेरे विचार से इस केस में विलम्ब अवश्य हुआ है, लेकिन प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र में लिखे गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है तथा सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

आदेश

8 ख प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

दाण्डिक पुनरीक्षण अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 28.07.2026 को प्रस्तुत हो।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.20 15:45:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court